

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास)  
जिला Betul म.प्र.

:: आदेश ::

क्रमांक: esst/2025/betul/3490

दिनांक:17.06.2025

एतद् द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2024/एक/9 दिनांक 29.04.2025 के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार निम्नलिखित शासकीय सेवकों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 एवं 07 में दर्शाये गए पद एवं स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ करता है:-

क्र.	नाम	पदनाम	ट्रेजरी एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	
					पदनाम	कार्यालय/संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	Kailash Kumar Warathe	Middle Teacher - PTI	030236010	Sports Complex Betul-KSBET200629 Block-Betul District-Betul	Middle Teacher - PTI	Sports Complex Shahpur-KSBET200671 Block-Shahpur District-Betul

यह स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन रहेगा:

- स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी की ई-सेवा पुस्तिका / सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि उपरांत कार्य मुक्त किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व संस्था प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी को e HRMS Portal पर कार्यमुक्त करना एवं कार्य ग्रहण करवाना अनिवार्य होगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर स्थानांतरण से पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
- स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह में स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।
- यथा स्थिति, दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।
- कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि के उपरांत कर्मचारी / अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानान्तरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जायेगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को प्रेषित कर दिये जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।
- कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना आहरित होगा।
- कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि 'का, किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
- स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से पालन ना किया जाना, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नवीन पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके मूल संवर्ग से किसी अन्य संवर्ग में होता है, तो उसका धारणाधिकार उसके मूल संवर्ग के पद पर ही रहेगा।

जनजातीय कार्य एवं  
अनुसूचित जाति  
विकास  
Betul

**Signature**

सहायक आयुक्त/जिला संयोजक

क्रमांक - esst/2025/betul/3490/2025

17 -06-2025

**प्रतिलिपि :**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय प्रभारी मंत्री जी, जिला Betul मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. संबंधित जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
10. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, संभाग म.प्र.।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला Betul की ओर सूचनार्थ।
12. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी मध्यप्रदेश।
13. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड अधिकारी, जिला Betul की ओर सूचनार्थ।
14. सर्व संबंधित संस्था की ओर पालनार्थ।
15. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक आयुक्त/जिला संयोजक  
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास  
Betul